श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2018 को सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी में संधारित।

कार्यवाही

बैठक में निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये–

(1) **सरजमीनी सेवाओं (अमीन)** :– सरजमीनी सेवाओं (अमीन) अन्तर्गत मापी की समीक्षा की गई। एक माह से अधिक समय से लम्बित मापी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ब्रह्मपुर में 05, बक्सर में 01, चौसा में 01, नावानगर में 05, एवं सिमरी में 02 मामले लम्बित है। अंचल अधिकारी नावानगर के द्वारा बताया गया कि लम्बित मामला रैयती भूमि का है। निदेशित किया गया कि रैयतों से लिखित आवेदन प्राप्त करें तथा यदि आपत्ति नहीं है, तो मापी करवाकर अभिलेख बंद करें। सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि लम्बित मापी को एक सप्ताह के अन्दर कराते हुए अपलोड करायें।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

(2) **सरजमीनी सेवाओं (कर्मचारी) दाखिल–खारिज** :– सरजमीनी सेवाओं अन्तर्गत दाखिल–खारिज एवं शुद्धि पत्र वितरण की समीक्षा की गई। सभी अंचल अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि शुद्धि पत्र का वितरण काउन्टर के माध्यम से किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि चौसा अंचल के निरीक्षण के क्रम में दाखिल–खारिज पंजी अद्यतन नहीं पाया गया। साथ ही पंजी देखने से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने का निष्पादन हुआ। सभी अंचल अधिकारियों को अपने कार्यालय के सभी पंजियों को अद्यतन करने का निदेश दिया गया। साथ ही शुद्धि पत्र का जमाबंदी पंजी में इन्ट्री करा कर अभिलेख को बंद करने का निदेश दिया गया।

दाखिल–खारिज के लम्बित मामलों की समीक्षा की गई। इटाढ़ी अंचल में लम्बित मामलों के संबंध में अंचल अधिकारी, इटाढ़ी के द्वारा बताया गया कि माह के अंतिम समय में आवेदन प्राप्त होने के कारण लम्बित प्रदर्शित हो रहा है। नावानगर अंचल में लम्बित आवेदन के बारे में अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि राजस्व कर्मचारी श्री कन्हैया प्रसाद कार्य में रूची नहीं लेते है तथा हल्का एवं कार्यालय से लगातार गायब रहते है, जिसके कारण मामलों का निष्पादन नहीं हो रहा है। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि श्री कन्हैया प्रसाद के मामले में स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रपत्र 'क' भेजें। इस क्रम में निदेशित किया गया कि अनुपस्थिति के अलावे अन्य मामलों यथा लोक सेवा अधिकार में प्राप्त एवं निष्पादित आवेदन, राजस्व वसूली आदि विषयों में उनकी उपलब्धि को सम्मिलित करें।

सभी अंचल अधिकारियों को साप्ताहिक आधार पर समीक्षा करने तथा निष्पादित मामलों को एम0आई0एस0 पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

(3) <u>सरजमीनी सेवाओं (कर्मचारी) दखल–देहानी</u> :– सरजमीनी सेवाओं अन्तर्गत ऑपरेशन दखल–देहानी की समीक्षा की गई। अंचलवार स्थिति निम्नवत् है–

क0 सं0	अंचल का नाम	प्रपत्र–2 के अनुसार बेदखल लाभार्थियों की संख्या	प्रपत्र–3 के अनुसार दखल दिलाये गये लाभार्थियों की संख्या	माह अप्रैल में दखल दिलाये गये लाभार्थियों की संख्या	कुल दखल दिलाये गये लाभार्थियों की संख्या	अवशेष लाभार्थियों की संख्या
1	बक्सर	227	146	0	146	81
2	चौसा	159	142	7	149	10
3	राजपुर	171	141	0	141	30
4	इटाढ़ी	238	131	0	131	107
5	डुमराँव	139	131	0	131	8
6	नावानगर	228	190	1	191	37
7	केसठ	0	0	0	0	0
8	चक्की	62	12	0	12	50
9	चौगाई	35	35	0	35	0
10	ब्रह्मपुर	97	66	0	66	31
11	सिमरी	121	121	0	121	0
	कुल	**1477**	**1115**	**8**	**1123**	**354**

विगत माह में प्रपत्र–2 के अनुसार बेदखल लाभार्थियों की संख्या 1445 थी, जो अप्रैल माह में बढ़कर 1477 हो गयी है। इस प्रकार कुल 32 नये मामले प्राप्त हुए है। बक्सर, राजपुर, इटाढ़ी, डुमरांव, केसठ, चक्की, चौगाई, एवं सिमरी अंचल में बेदखली के कोई मामले प्राप्त नहीं होने के कारण पृच्छा के क्रम में संबंधित अंचल अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है और न ही कोई आवेदन प्राप्त है। निदेशित किया गया कि लोक शिकायत निवारण कार्यालय में बेदखली के मामले प्राप्त होते रहते है। ऐसे मामलों की समीक्षा कर उसे प्रपत्र–2 में सम्मिलित करें तथा दखल कब्जा दिलायें।

समीक्षाधीन माह में मात्र 08 मामले में दखल दिलाया गया है, जिसमें चौसा में 07 एवं नावानगर अंचल के 01 मामले हैं। अन्य किसी भी अंचल कार्यालय के द्वारा दखल कब्जा नहीं दिलाया गया है। सिमरी, केसठ एवं चौगाई के अंचल अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि दखल–कब्जा का कोई मामला लम्बित नहीं है। अंचल अधिकारी, इटाढ़ी के द्वारा बताया गया कि दो मामले को छोड़कर शेष मामला न्यायालय में लम्बित है। अंचल अधिकारी, राजपुर एवं डुमरांव के द्वारा बताया गया कि सभी लम्बित मामले में न्यायालय में लम्बित है। लम्बित मामलों के अद्यतन स्थिति के बारे पृच्छा करने पर अंचल अधिकारियों के

द्वारा स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया गया तथा निदेश के बावजूद भी जी0पी0 से अद्यतन प्रतिवेदन अब तक प्राप्त नहीं की गई है। इस पर अप्रसन्नता प्रकट की गई। सभी अधिकारियों को निदेशित किया गया कि विगत पॉच वर्षों में अंचलवार दखल देहानी के कितने मामले न्यायालयों में लंबित है और कितने मामलों में सरकार पक्षकार है इसकी समीक्षा जी0पी0 से प्रतिवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें और इसे समीक्षा बैठक में उपस्थापित करें। साथ ही सभी अंचल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय में सरकार का पक्ष पूरी तैयारी के साथ रखें, ताकि सरकार को कोई क्षति नहीं हो। अपर समाहर्त्ता राजस्व समन्वय समिति की प्रत्येक बैठक में जी0पी0 को भी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का निदेश संसूचित करें।

बक्सर अंचल के 68 मामलों को रद्द करने के संबंध में सक्षम कार्यालय में अभिलेख में आवश्यक सुधार कर प्रतिवेदन भेजने हेतु अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, नावानगर को भी निदेशित किया गया कि न्यायालय में लम्बित 10 मामलों को छोड़कर शेष मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। अंचल अधिकारी, इटाढ़ी के कार्यालय में लम्बित दो मामलों के संबंध में अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि लगातार प्रयास किया जा रहा है, परन्तु अंतिम समय पर पुलिस बल प्राप्त नहीं होने के कारण समस्या हो रही है। निदेशित किया गया कि पुलिस लाईन से समन्वय स्थापित कर पुलिस बल प्राप्त करें। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर भी अपने स्तर से समन्वय स्थापित करायेंगे।

सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि दखल–देहानी के मामले में लोक शिकायत निवारण कार्यालय से प्राप्त विनिश्चय के आलोक में सीधे कार्रवाई नहीं कर अभिलेख खोलकर आदेश निर्गत करते हुए आवश्यकतानुसार पुलिस बल की मांग कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/अपर समाहर्त्ता)

(4) <u>अभियान बसेरा</u> :– अभियान बसेरा के अन्तर्गत कुल सर्वेक्षित परिवार 6254 के विरूद्ध 3130 भूमि वितरण किया गया है तथा 3124 अवशेष है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समीक्षाधीन माह में कुल 31 (5 गैर मजरूआ एवं 26 BPPHT) परिवारों को अभियान बसेरा के अन्तर्गत भूमि उपलब्ध कराया गया है।

सभी अंचलाधिकारियों को विगत बैठक में निदेशित किया गया कि लोहिया बिहार स्वच्छ अभियान के तहत ODEP Plan में भूमिहीनों की सूची तैयार की गई है। इस सूची को अंचल में भूमिहीनों का आधार मानते हुये इसकी जॉच कराकर नियमानुसार भूमिहीन परिवारों को अभियान बसेरा के अंतर्गत भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारी, बक्सर के द्वारा 7 लोगों का प्रस्ताव भेजने के बारे में जानकारी दी गई। इटाढ़ी में 33 प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी गई। अंचल अधिकारी, इटाढ़ी द्वारा बताया गया कि 19.81 एकड़ सरकारी भूमि वितरण हेतु उपलब्ध है। सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपने कार्यालय में समीक्षा करें कि उन्हें कितने लोगों को भूमि वितरण की जानी है तथा उसके विरूद्ध कितनी सरकारी भूमि उपलब्ध है। निदेशित किया गया कि कार्य योजना बनाकर इन्दिरा आवास एवं शौचालय

विहीन परिवार जो भूमि के अभाव में शौचालय नहीं बना रहे है, उसे भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सभी अंचल अधिकारियों को अंतिम रूप से चेतावनी दी गई कि भूमि के विभिन्न स्रोत (गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम, BPPHT एवं कय) में शून्य प्रतिवेदन किसी भी अंचल से प्राप्त नहीं होना चाहिए। अन्यथा से इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाएगी।

अंचल निरीक्षक के द्वारा उनके अंचल में सरकारी भूमि की उपलब्धता का ब्योरा स्पष्ट नहीं किया गया। इस पर अप्रसन्नता प्रकट की गई तथा अपर समाहर्त्ता को अंचल निरीक्षक, ब्रह्मपुर से कारण पृच्छा कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। सभी अंचल निरीक्षक को निदेशित किया गया कि अपने अंचल के बारे सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी रखें।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी/अपर समाहर्त्ता)

(5) **<u>वासगीत पर्चा</u>** :– वासगीत पर्चा वितरण की समीक्षा की गई। इस क्रम में अंचलवार वासगीत पर्चा हेतु लंबित आवेदनों की स्थिति निम्नवत पाई गई–

क्र0 सं0	अंचल का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निष्पादित आवेदन	कुल लंबित आवेदन
1	बक्सर	34	4	30
2	चौसा	1	1	00
3	राजपुर	5	2	03
4	इटाढ़ी	35	0	35
5	डुमराँव	0	0	00
6	नावानगर	2	2	00
7	केसठ	1	0	01
8	चक्की	6	0	06
9	चौगाई	3	2	01
10	ब्रह्मपुर	9	0	09
11	सिमरी	4	4	00
कुल		**100**	**15**	**85**

समीक्षा के कम में बक्सर एवं इटाढी में वासगीत पर्चा हेतु अधिकांश मामला लंबित पाया गया। सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि इस माह में वासगीत पर्चा हेतु अपने कार्यालय में लंबित सभी आवेदन पत्रों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करें। साथ ही इसे ऑन लाईन प्रविष्टि भी करायें।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

(6) <u>भू–लगान वसूली</u> :– लगान वसूली की समीक्षा की गई। सभी अंचलों को मिलाकर समीक्षाधीन माह में 254224.00 रुपये वसूली की गई है। सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में वसूली की समीक्षा करें। अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि WhatsAPP के माध्यम से अंचलों से दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त करें कि कितना वसूली प्रतिदिन की जा रही है। राजपुर अंचल में राजस्व वसूली कम होने पर अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि चन्द्रकान्त तिवारी, राजस्व कर्मचारी लम्बे समय से कार्यालय से अनाधिकृत रूप से गायब है। निदेशित किया गया कि कारण पृच्छा कर उनके आवासीय पते पर भेजें तथा कार्रवाई हेतु प्रस्ताव समर्पित करें।

Compilation Sheet तैयार करने की समीक्षा की गई। अंचलों को 30.04.2018 तक Compilation Sheet तैयार करना था, परन्तु किसी भी अंचल के द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जो काफी गंभीर मामला है। समीक्षा के क्रम में अंतिम रूप से चेतावनी देते **हुए एक सप्ताह के अन्दर** Compilation Sheet तैयार करने हेतु सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी/अपर समाहर्त्ता)

(7). <u>सैरात की बंदोबस्ती एवं वसूली</u> :– सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि अगली बैठक में इस आशय का प्रतिवेदन के साथ भाग लेंगे कि उन्हें कितना वसूली की जानी है तथा समीक्षाधीन माह में कितना वसूली की गई है। निदेशित किया गया कि जिन सैरातों का किसी कारण से बंदोबस्ती नहीं हुआ है, उक्त मामले में विभागीय वसूली करायेंगे तथा साप्ताहिक आधार उसे सरकारी खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिवेदन बैठक में लायेंगे।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

(8). <u>जमाबन्दी पंजी के इंट्री की समीक्षा</u>:– अंचलवार जमाबन्दी पंजी–2 के इंट्री की समीक्षा की गई। बक्सर अंचल में शतप्रतिशत इन्ट्री हो चुका है। सिमरी अंचल में भी कार्य समाप्ति पर है। शेष अंचलों में केसठ छोड़कर सभी अंचलों की प्रगति असंतोषजनक है तथा अब तक 70 प्रतिशत इन्ट्री भी पूर्ण नहीं की गई है। अंचल अधिकरियों के द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों के द्वारा कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण इन्ट्री की प्रगति बाधित है। इसके अतिरिक्त नेट की समस्या एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर की भुगतान नहीं होने के कारण भी कार्य बाधित बताया गया। अपर समाहर्त्ता के द्वारा बताया गया कि डाटा इन्ट्री आपरेटर के भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराई गयी थी, परन्तु ससमय निकासी नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हुआ है। निदेशित किया गया कि विभाग को राशि भेजने हेतु अधियाचना भेजें। अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि बेहतर कनेक्टीवीटी वाले संस्था का नेट प्रयोग करते हुए डाटा इन्ट्री करायें। अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि WhatsAPP के माध्यम से अंचलों से प्रतिदिन की डाटा इन्ट्री की प्रतिवेदन प्राप्त करें।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी/अपर समाहर्त्ता)

(9). **कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा** :– समीक्षा के क्रम में बक्सर अंचल के द्वारा 09, चौसा के द्वारा 05, राजपुर के द्वारा 10, इटाढ़ी के द्वारा 11 कब्रितानों की मापी कर प्रतिवेदन देने के बारे में संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई। डुमरांव अन्तर्गत रजडीहा कब्रिस्तान के बीच रास्ता के विवाद के मामले में अंचल अधिकारी, डुमरांव को निदेशित किया गया कि थानाध्यक्ष के साथ मिलकर समस्या का समाधन करायें। सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि यदि कोई मामला लम्बित हो तो उसका मापी करा कर प्रतिवेदन भेजें।

(अनु0: सभी संबंधित अंचल अधिकारी)

(10). **मंदिर घेराबंदी की समीक्षा** :– समीक्षा के क्रम में सभी अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मंदिर घेराबंदी का कोई मामला लम्बित नहीं है।

(11). **अतिक्रमणवाद** :– सरकारी भूमि, जल निकाय, बाजार समिति की भूमि, कार्यालय की भूमि के अतिक्रण की समीक्षा की गई। इटाढ़ी प्रखण्ड कार्यालय की भूमि में अतिक्रमण की जानकारी अंचल अधिकारी द्वारा दी गई। इस क्रम में निदेशित किया गया कि नोटिस कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करायें।

बाजार समिति की भूमि के अतिक्रमण के बारे में अंचल अधिकारी, बक्सर को स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्हें निदेशित किया गया कि निरीक्षण करेंगे तथा यदि भूमि अतिक्रमित हो तो उसे अतिक्रमण मुक्त करायेंगे।

सभी अंचल अधिकारियों को जल निकायों के अतिक्रमित भूमि को विधिवत् कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त कराने एवं समीक्षाधीन माह में हुई प्रगति का प्रतिवेदन लाने का निदेश दिया गया।

अंचल अधिकारी, इटाढ़ी के द्वारा बताया गया कि सोन नहर प्रमण्डल के भूमि पर लगातार अतिक्रमण होता जा रहा है, परन्तु विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कर सिर्फ अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु आवेदन दिया जा रहा है। अतिक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, परन्तु उक्त विभाग के द्वारा अपने दायित्वों को निर्वहन नहीं किया जा रहा है तथा अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यालय में आवेदन दिया जा रहा है। अंचल अधिकारी, इटाढ़ी को निदेशित किया गया कि उपर्युक्त के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को निदेशित किया गया कि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को वस्तु स्थिति से अवगत कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र निर्गत करायेंगे।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा)

(12). <u>अंचल कार्यालयों की सुरक्षा</u> :– समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारी, इटाढ़ी, चौसा, डुमरांव, नावानगर एवं ब्रह्मपुर के द्वारा अपने कार्यालय में अंचल गार्ड नहीं होने के बारे में जानकारी दी गई। विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा को निदेशित किया गया कि अंचल गार्ड की प्रतिनियुक्ति के संबंध में पुलिस अधीक्षक को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र भेजें।

(अनु0: विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

(13). <u>गंभीर भूमि विवाद</u> :– सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपने अंचल के पाँच गंभीर भूमि विवाद की सूची भेजेंगे तथा थानाध्यक्ष के साथ मिलकर भूमि विवाद को समाप्त करायेंगे।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

(14). <u>आपदा प्रबंधन</u> :– सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि बाढ़ आपदा से संबंधित वांछित प्रतिवेदन 17.05.2018 तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

(15). <u>अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के आलोक में की गई कार्य की समीक्षा</u> :– अंचल अधिकारियों के उनके द्वारा जारी की गई अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के आलोक में किये गये कार्य की समीक्षा अंचलवार निम्नवत् की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये–

(i) <u>बक्सर अंचल</u> :– अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि 08.05.2018 को आपदा से संबंधित कार्य किया गया है तथा सूची आदि की तैयारी की गई। तीन अतिक्रमण वाद के मामले का निष्पादन किया गया है। सोनवर्षा में मापी कराई गई है। अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में किसी भी हल्का का निरीक्षण अंकित नहीं है। अंचल अधिकारी को संशोधित आदेश निर्गत कर हल्का का निरीक्षण की तिथि भी निर्धारित करने का निदेश दिया गया। अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम देखने से भ्रामक प्रतीत होता है, क्योंकि सामान्य कार्य के लिए भी काफी अधिक समय दिया गया। इसमें संशोधन करने का निदेश दिया गया।

(अनु0: अंचल अधिकारी, बक्सर)

(ii) <u>चक्की अंचल</u> :– मछली घर के बारे में विवाद की सुनवाई की गई है। पुनः 23.05.2018 को इसके लिए तिथि निर्धारित की गई है। निदेशित किया गया कि हल्का निरीक्षण की तिथि निर्धारित करें तथा निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजें।

(अनु0: अंचल अधिकारी, चक्की)

(iii) <u>राजपुर अंचल</u> :– हेठुआ पंचायत में राजस्व षिविर का आयोजन किया गया। हेठुआ तालाब की बंदोबस्ती के संबंध में बताया गया कि 31.05.2018 को किया जाएगा। उनके

दाखिल–खारिज एवं एल0पी0सी0 के आवेदन प्राप्ति होने की जानकारी दी गई। निदेशित किया गया कि राजस्व शिविर में हुई प्रगति का कार्यवाही तैयार करें तथा उसकी प्रति भेजें। अंचल अधिकारी को क्षेत्र भ्रमण करने का निदेश दिया गया। सभी अंचल अधिकारी अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम का अवलोकन किया गया, जो देखने से भ्रामक प्रतीत होता है। प्रत्येक दिन सिर्फ एक ही कार्य दर्शाया गया है। इसमें अपेक्षित सुधार कर संषोधित अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम जारी करने का निदेष दिया गया।

(अनु0: अंचल अधिकारी, राजपुर)

(iv) <u>इटाढ़ी अंचल</u> :– शनिवार को आयोजित होने वाले संयुक्त जनता दरबार की कार्यवाही निर्गत करने का निदेश दिया गया। लोक सेवा अधिकार काउन्टर पर छापेमारी करने का निदेश दिया गया। यदि आवेदक स्वयं नहीं आते है तो बिना प्राधिकार पत्र के आवेदन नहीं जमा करने दें।

(अनु0: अंचल अधिकारी, इटाढ़ी)

(v) <u>चौसा अंचल</u> :– अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये निदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन भेजें। थाना पर संयुक्त बैठक के पूर्व इसका प्रचार–प्रसार करायें ताकि लोगों को जानकारी हो सके। हल्का का निरीक्षण अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में अंकित नहीं है। निदेशित किया गया कि हल्का का निरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर निरीक्षण करें।

(अनु0: अंचल अधिकारी, चौसा)

(vi) <u>डुमरांव अंचल</u> :– अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि 12.05.2018 को कृष्णब्रह्म थाना पर भूमि विवाद का समस्या का समाधान किया है तथा मापी कराई गई है। निदेशित किया गया कि साप्ताहिक बैठक में राजस्व वसूली की लक्ष्य निर्धारित कर उसकी उपलब्धि की समीक्षा करें। हल्का का निरीक्षण अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में अंकित नहीं है। निदेशित किया गया कि हल्का का निरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर निरीक्षण करें।

(अनु0: अंचल अधिकारी, डुमरांव)

(vii) <u>नावानगर अंचल</u> :– अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि 05.05.2018 को भूमि विवाद से संबंधित बैठक की गई तथा दखल दिलाया गया है। 09.5.2018 को भटौली में दाखिल–खारिज का शिविर अयोजित किया गया है। हल्का का निरीक्षण अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में अंकित नहीं है। निदेशित किया गया कि हल्का का निरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर निरीक्षण करें।

(अनु0: अंचल अधिकारी, नावानगर)

(viii) **<u>ब्रह्मपुर अंचल</u>** :– अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि ब्रह्मपुर में दो स्थानों यथा पूर्व एवं निमेज में अतिक्रमण हटाया गया है। अंचल अधिकारी को अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम का प्रति उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि हल्का का निरीक्षण करें।

(अनु0: अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर)

समाहर्त्ता,
बक्सर

ज्ञापांक 03–1515/रा0, दिनांक 31/05/2018

प्रतिलिपि : सभी अंचलाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बक्सर एवं डुमरॉव/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

31/05/18
समाहर्त्ता,
बक्सर